



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012024-251092  
CG-DL-E-02012024-251092

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 02, 2024/पौष 12, 1945

No. 27]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 02, 2024/PAUSHA 12, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

का.आ. 32(अ).—भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, अतः एल्ट्रा एयर कंडीशनर तथा इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कम्प्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. (1) इस आदेश को एयर कंडीशनर तथा इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कम्प्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. एयर कंडीशनर तथा इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कम्प्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में पैराग्राफ 2 में परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः

“बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी एयर कंडीशनर तथा इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कम्प्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 के लागू किए जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन उपकरण और इससे संबंधित पुर्जों के विनिर्माताओं पर 7000 वाट (2 टीआर) से अधिक क्षमता के हर्मेटिक कम्प्रेसर्स पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन उपकरण और इसके संबंधित पुर्जों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष आयातित 200 वस्तुओं अथवा सामानों पर लागू नहीं होगा तथा इस शर्त के

अध्यधीन होगा कि ऐसी आयातित वस्तुओं और सामान को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा एवं इसका स्ट्रैप के रूप में निपटान किया जा सकता है तथा ओईएम ऐसी वस्तुओं और सामान का वर्ष-वार रिकॉर्ड रखेंगे और यदि सरकार द्वारा मांगे जाएं तो, इसे उपलब्ध कराएंगे।

बशर्ते यह भी कि एयर कंडीशनर तथा इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कम्प्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 में से कुछ भी इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से पहले ब्यूरो से प्रमाणित विनिर्माता अथवा संगत वस्तुओं अथवा सामानों के लिए ब्यूरो से प्रमाणन हेतु आवेदन करने वाले विनिर्माता द्वारा विनिर्मित अथवा आयातित वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा तथा ऐसे विनिर्माताओं को 31 मार्च, 2024 से पहले ऐसे घोषित स्टॉक बेचने अथवा प्रदर्शित करने अथवा बेचने का प्रस्ताव करने की अनुमति होगी जो कि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि ऐसे विनिर्माता को ब्यूरो के समक्ष इस संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजेशन उपकरण और संबद्ध पुर्जों के प्रत्येक विनिर्माता, जो ब्यूरो से प्रमाणित विनिर्माता हैं अथवा जिन्होंने एयर कंडीशनर तथा इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कम्प्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 के कार्यान्वयन की तारीख से तीन साल तक संगत वस्तुओं अथवा सामानों के लिए ब्यूरो से प्रमाणन हेतु आवेदन किया है, द्वारा प्रतिवर्ष रखरखाव और बिक्री के लिए स्वदेशी रूप से विनिर्मित या आयातित 6000 तक हर्मेटिक कम्प्रेसर और हीट एक्सचेंजर्स पर लागू नहीं होगा तथा यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसे विनिर्माताओं को स्वदेशी रूप से निर्मित या आयातित हर्मेटिक कम्प्रेसर और हीट एक्सचेंजर्स के अपने पुराने स्टॉक की घोषणा एयर कंडीशनर तथा इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कम्प्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 के कार्यान्वयन की तारीख से पहले करनी होगी और ऐसी वस्तुएं या सामान का वर्षवार रिकॉर्ड रखना होगा तथा इसे ब्यूरो के समक्ष इस संबंध में एक घोषणा पत्र के साथ केंद्र सरकार को प्रदान करना होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी ऐसे स्वदेशी विनिर्माता द्वारा हर्मेटिक कम्प्रेसर और हीट एक्सचेंजर के आयात पर लागू नहीं होगा, जो ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता हैं अथवा जिन्होंने निर्यात के लिए विनिर्मित उत्पादों के लिए संगत उत्पादों हेतु ब्यूरो प्रमाणन हेतु आवेदन किया है, यदि निर्यात आदेश में उनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।”

[फा. सं. पी-29014/63/2017-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

**नोट:-** मुख्य आदेश सां.आ. 4354 (अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2019 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा बाद में सां.आ. 1518 (अ) दिनांक 18 मई, 2020, सां.आ. 4671 (अ) दिनांक 22 दिसंबर, 2020, सां.आ. 5095 (अ) दिनांक 8 दिसंबर, 2021 और सां.आ. 5972 (अ) दिनांक 21 दिसंबर, 2022 के जरिए इसमें संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

### ORDER

New Delhi, the 29th December, 2023

**S.O. 32(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the AirConditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, namely:—

1. (1) This order may be called the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) order, 2019, in paragraph 2, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that nothing in this order shall apply to Hermetic Compressors of more than 7000 W (2 TR) capacity for one year from the date of commencement of the Air Conditioner and its related parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2023 to the manufacturers of Air conditioning and Refrigeration equipment and related parts:

Provided also that nothing in this order shall apply for **200 numbers** of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of air conditioning and refrigeration equipment and related parts per year subject to the condition that such imported goods and articles will not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and also the OEMs shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish the same, if so desired by the Government:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of commencement of the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2023 by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification for the relevant goods and articles and such manufacturer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to the 31<sup>st</sup> March 2024 subject to the condition that such manufacturer shall make a declaration to this effect to the Bureau:

Provided also that nothing in this order shall apply to up to **6,000 numbers** of hermetic compressors and heat exchangers domestically manufactured or imported for maintenance and sales per year by each of the manufacturers of air conditioning and refrigeration equipment and related parts who are certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification for the relevant goods and articles till three years from the date of commencement of the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2023 subject to the condition that such manufacturers shall declare its old stock of hermetic compressors and heat exchangers domestically manufactured or imported before the date of commencement of the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2023 and maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish the same to the Central Government with a declaration made to this effect to the Bureau:

Provided also that nothing in this order shall apply to hermetic compressor and heat exchanger imported by domestic manufacturer who are certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification for the relevant goods and articles for manufacturing products for export, if specifically mentioned in the export order".

[F. No. P-29014/63/2017-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

**Note.-** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4354 (E), dated the 5<sup>th</sup> December, 2019 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1518 (E), dated the 18<sup>th</sup> May, 2020, S.O. 4671 (E), dated the 22<sup>nd</sup> December, 2020, S.O. 5095 (E), dated the 8<sup>th</sup> December, 2021 and S.O. 5972 (E), the dated 21<sup>st</sup> December, 2022.